28-5-2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप। वकील प्रार्थी श्री मूलसिंह यादव ने बहस में प्रा. फा. में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये ग्राम मुण्डारा में स्थित भूमि हाल ख. नं. 800, 814, 815, 816, 817 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.30 हैक्टर की भूमि गत ख. नं. 570, 571 मीन से बनना स्पष्ट करते हुये

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म

पुराने ख. नं. 571 मीन रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा में से सवा सोलह बीघा भूमि प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता/पति स्व. किशनसिंह पुत्र अचलसिंह की रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से खरीद शुदा भूमि होने तथा तीन बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति व प्रतिवादी सं. (1) लगाय (2) के पिता अचलसिंह पुत्र मोडसिंह की रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा खरीदशुदा भूमि है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि हाल ख. नं. के कुल रकबा 5.30 हैक्टर में से वादीगण के पिता/पति की खरीद शुदा भूमि सवा सोलह बीघा भूमि यानी 2.60 हैक्टर भूमि तथा शेष भूमि 2.70 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी सं. (1) व (2) के पिता अचलसिंह की भूमि है जिस भूमि में 1/3 हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण के पिता/पति का 0.90 हैक्टर भूमि आती है इस प्रकार खरीदशुदा भूमि 2.60 हैक्टर व पुश्तैनी हिस्सा की 0.90 हैक्टर (2.60+0.90)= 3.50 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के पिता से प्राप्त भूमि है परंतु राजस्व रेकर्ड में वर्तमान खसरा नं. 800, 814, 815, 816, 817 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.30 हैक्टर में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का भी 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है जो भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हुआ है जिस इन्द्राज को दुरुस्त किये जाने बाबत प्रार्थीगण की ओर से वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 RTA सपठित धारा 136 LR Act 1956 का पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा एवं अप्रार्थीगण रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को आधार बनाते हुये प्रार्थीगण के खरीद शुदा भूमि अनुसार निहित 3.50 हैक्टर का उपभोग करने नहीं देते है तथा कुँए से पानी भी सिंचाई करने नहीं देते है तथा अपनी मर्जी से कुँए का पानी अन्य कुओं की जमीन की सिंचाई के लिये दे रहे हैं जिनको रोके जाने एवं भूमि का अन्यत्र बेचान नहीं करने से पाबन्द किये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। विद्वान वकील प्रार्थी श्री मूलसिंह यादव द्वारा अपनी दलीलो के संबंध में निम्न कानूनी उदाहरण पेश किये:-

(1) RRT (2015 (2) Page 1145
Hanuman v/s Narayan

(2) RRT 2021 (2) Page 828
Ramprasad & oth v/s Ragunath & ors.

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	वकील अप्रार्थीगण श्री अमृत परिहार ने बहस में T.I. प्रा. पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है। प्रा. पत्र मे उल्लेखित गत ख. नं. 571 मीन में खरीदशुदा भूमि का रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा होता है जो हेक्टेयर में 3.22 हेक्टेयर ही होता है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा मुण्डारा के वर्तमान ख. नं. 800, 814, 815, 816, 817 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.30 हेक्टर (33 बीघा 3 बिस्वा) बाबत घोषणा आदेदारी व उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र पेश किया है। खरीदशुदा रकबा (20 बीघा 2 बीस्वा - 33 बीघा 3 बिस्वा) = 2.08 हेक्टर बेसी रकबा के बारे में प्रार्थीगण द्वारा प्रा. पत्र मे स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणे के पक्ष में बनना ही नहीं पाया जाता है। वादग्रस्त भूमि विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार गत खसरा नं. 567, 568, 570, 571 से बनना प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं. 800, 814, 815, 816, 817 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.30 हेक्टर के 1/3 हिस्सा के संबंध में ही प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी बनते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के सिद्धांत अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रा. पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाम की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मुण्डारा के हाल ख. नं. 800, 814, 815, 816, 817 कुल रकबा 5.30 हेक्टर मे से 2.60 हेक्टर अपने स्व. पिता की स्व अर्जित सम्पत्ति होना तथा 0.90 हेक्टर पुश्तैनी एक हिस्सा की भूमि कुल 2.60 + 0.90 = 3.50 हेक्टर की घोषणा आदेदारी के साथ उक्त T.I. प्रा. पत्र पेश किया है तथा उक्त हाल ख. नं. गत ख.नं. 571 मीन व 570 से बनना व्यक्त किया है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध गत ख. नं. 571 मीन व 570 के रकबे से उक्त हाल ख. नं. का रकबा 5.30 हेक्टर बनने की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि गत ख. नं. मे अपने पिता द्वारा खरीदशुदा सवा सोलह बीघा भूमि के अलावा कौनसे गत ख. नं. में कितना-कितना रकबा पुश्तैनी दर्ज था यह तथ्य साबित नहीं है। जिससे वर्तमान रिकार्ड मे दर्ज अप्रार्थीगण के 1/3, 1/3 हिस्से के संबंध में ... मामला बनता है।	22

उपखण्ड अधिकारी
... जिला-पाली (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	किसी प्रकार के ठोस सबूत के अभाव मे प्रार्थीगण की स्वीकार योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि घल ख.नं. 8.. 814, 815, 816, 817 कुल खसरा 05 कुल रकबा 5.30 हैक्टेयर के 1/3 हिस्सा के संबंध में प्रार्थीगण के हिस्से बंट की भूमि मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे तथा साथ ही शामलाती कुँए से 1/3 हिस्सा अनुसार पानी सिंचाई हेतु निकालने में अप्रार्थीगण अवरोध नहीं करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सेवा में,

Scanned with CamScanner